

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

+ ज़मानत अर्ज़ी 121/2021

निर्णय की तिथि: 26 फरवरी, 2021

के मामले में:-

मनोज गुप्ता

....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रमनीक मिश्रा, श्री आशीष रायज़ादा और
श्री नयन कुँवर सिंह, अधिवक्तागण

बनाम

स्वापक नियंत्रण ब्युरो

....प्रत्यर्थी

द्वारा: वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, श्री सुभाष बंसल के
साथ स्वा.नियं.ब्युरो के अधिवक्ता श्री शाश्वत

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत सी.सी. सं. VII/36/DZU/2020 दिनांकित 27.11.2020 में नियमित ज़मानत की माँग करते हुए एक आवेदन है, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 9ए, 25ए, 22, 23 और 29 के तहत अपराधों के लिए थाना आर.के. पुरम, दिल्ली में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता को 27.09.2020 को गिरफ्तार किया गया था।

2. स्थिति आख्या में दिया गया अभियोजन का मामला निम्नानुसार है:-

“14-08-2020 को प्राप्त जानकारी के आधार पर भीलवाड़ा, राजस्थान से लीलेश सेन द्वारा देबोराह वुड एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने के लिए बुक किया गया पार्सल जिसका नं. AWB 6098216305 था और जो स्काई लाइन लॉजिस्टिक्स, 71/3, रामा रोड, नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में पड़ा हुआ था, की जाँच की गई। उक्त पार्सल में महिलाओं के कपड़े और 2 खाकी रंग के कार्डबोर्ड और 24 प्लास्टिक के लिफाफे पाए गए। 2 खाकी कार्डबोर्ड में 04 प्लास्टिक के पैकेट थे, उसके बाद कुल 28 प्लास्टिक के पैकेटों की जाँच की गई और उसमें सफेद पाउडर पदार्थ पाया गया अर्थात् उनमें स्यूडोफेड्रिन के सकारात्मक परिणाम मिले। पदार्थ का कुल वज़न 3 किलो 800 ग्राम था। जाँच के दौरान, श्री विनोद सिंह (ट्रैकन कोरियर के मालिक) द्वारा उनके एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 37 के ब्यान के तहत यह बताया गया कि उक्त पार्सल को आरंभ में 12-08-2020 को बुक किया गया था और उसने बुक किए गए व्यक्ति के व्हाट्सएप चैट और मोबाइल नंबरों के विवरण दिए थे, साथ ही यह भी बताया कि उसी व्यक्ति ने जुलाई और अगस्त, 2020 में पहले दो और पार्सल बुक किए थे। चूंकि पार्सल किसी लीलेश सेन की आईडी पर बुक किए गए थे, तो जाँच के दौरान लीलेश सेन को बुलाया गया था और उसने दिनांक 3-9-2020 को धारा 67 के तहत दिए अपने बयान में खुलासा किया कि उसने 13-07-2020 को उदयपुर की यात्रा की थी और आशीर्वाद होटल में रुका था। उक्त होटल में अपने रुकने के दौरान, रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने उनका आईडी और पैन कार्ड लिया था और आईडी की फोटोकॉपी के बहाने होटल से बाहर चला गया था। इसके बाद, 27-09-

2020 को, एनडीपीएस की धारा 67 के तहत मनोज गुप्ता को उनके आशीर्वाद होटल पर नोटिस दिया गया और उन्होंने 28-9-2020 को अपना स्वैच्छिक बयान दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त पार्सल उनके द्वारा लिलेश सेन के आईडी दस्तावेज़ात का उपयोग करके बुक किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने चेन्नई के एक व्यक्ति रफीक के निर्देशों पर उक्त पार्सल को बुक किया था। आगे बताया गया कि उसने लिलेश सेन की आईडी का उपयोग करके और अधिक पार्सल भेजे थे। उसने आगे बताया कि किस तरह से उसने लिलेश सेन से दस्तावेज़ात प्राप्त किए थे और किस तरह से उसने ट्रैकन कोरियर में कोंट्राबैंड वाले उक्त पार्सल की बुकिंग के लिए उनका उपयोग किया था। मनोज गुप्ता के बयान के दौरान अन्य दस्तावेज़ात अर्थात् आगंतुक रजिस्टर, 16 आधार कार्ड (मूल) 6 ड्राइविंग लाइसेंस (मूल) और कई व्यक्तियों के नाम पर 2 मतदाता कार्ड (मूल) भी प्रस्तुत किए थे। लिलेश सेन के 28-9-2020 के आगे के बयान में उन्होंने मनोज गुप्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो होटल आशीर्वाद में मौजूद था और जिसने उसके आईडी दस्तावेज़ात लिए थे। यहाँ तक कि ट्रैकन कोरियर के मालिक ने 28-9-2020 के अपने बयान में भी आरोपी मनोज गुप्ता को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जो उक्त पार्सल बुक करने आया था“(AWB 6098216305)।”

3. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता श्री रमनीक मिश्रा ने प्रतिवाद किया कि स्यूडोफेड्रिन केवल एक नियंत्रित वस्तु है और इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। वह प्रतिवाद करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत लिलेश सेन और विनोद सिंह द्वारा दिए गए

बयान हैं जो तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2013)16 एससीसी 31 के फैसले के मद्देनज़र स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दो इंकशाफी बयानों के अलावा अन्य एकमात्र दस्तावेज़ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक बयान है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दायर की गई है। वह प्रतिवाद करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पूर्ववृत्त नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है और याचिकाकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाए।

4. दूसरी ओर, एनसीबी के लिए उपस्थित हो रहे वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री सुभाष बंसल ने बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले के अवसरों पर भी पार्सल भेजे हैं। उन्होंने प्रतिवाद किया कि 3.8 किलोग्राम के स्यूडोफेडीन को ज़ब्त कर लिया गया है जो एक बड़ी मात्रा है। यह प्रतिवाद किया गया कि याचिकाकर्ता का उस गतिविधि में लिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह कहा गया कि यदि ज़मानत को बढ़ाया गया तो याचिकाकर्ता सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है।

5. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता श्री रमनीक मिश्रा और एनसीबी के लिए उपस्थित हो रहे वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री सुभाष बंसल को सुना गया और दस्तावेज़ात का अवलोकन किया गया।

6. स्यूडोफेडरीन एक नियंत्रित वस्तु है और इसलिए याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता यह कहने में सही हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती।

याचिकाकर्ता अब लगभग 4 महीनों से हिरासत में है। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। इस स्तर पर यह न्यायालय मामले के गुणागुण पर जाने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि यह पक्षगण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर याचिकाकर्ता को ज़मानत देने के लिए इच्छुक है:-

(क) याचिकाकर्ता 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि का मुचलका समान राशि के एक प्रतिभू के साथ याचिकाकर्ता के एक रिश्तेदार द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर देगा।

ख) याचिकाकर्ता जाँच अधिकारी को अपना पासपोर्ट सौंपेगा।

ग) याचिकाकर्ता जाँच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएगा और विचारण के दौरान याचिकाकर्ता को अपना मोबाइल नंबर कार्यात्मक रखना होगा।

घ) याचिकाकर्ता प्रत्येक सोमवार को जाँच अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

8. तदनुसार, उपर्युक्त शर्तों में याचिका को मंजूर किया जाता है और उसका निपटान किया गया है।

9. इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को और विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जानी चाहिए।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

26 फरवरी, 2021

राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।